



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय,

Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya

देवास मार्ग, उज्जैन (मध्यप्रदेश) 456010

Email- regpsvmp@rediffmail.com, website -www.mpsvvujain.org phone.no- 07342526044, Fax 07342524845

क्र./पा.स.वि./कु.स/22/११८

उज्जैन दिनांक १५/०८/७२

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में सत्र 2022-23 के लिए शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक अथवा नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिए निम्नलिखित विषयों के अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों का पैनल तैयार करने के लिये यू.जी.सी. अर्हताधारी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	विभाग/केन्द्र का नाम	विषय	आवश्यक अतिथि विद्वान
1	दर्शन विभाग	न्यायदर्शन अद्वैत वेदान्त	01 पूर्णकालिक 01 पूर्णकालिक
2	संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण तथा ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्र	संस्कृत संभाषण	01 पूर्णकालिक

Dr. M. S. Chaturvedi
कुलसचिव

आवेदन की प्रक्रिया:-इच्छुक अभ्यर्थी को संलग्न प्रोफार्मा (अतिथि विद्वान् हेतु आवेदन पत्र) में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ स्वयं का वायोडाटा तथा अपेक्षित सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाये तथा दिनांक 31.08.22 तक ईमेल—recruitment.mpsvv@gmail.com पर ईमेल करना अनिवार्य होगा तथा हार्ड कापी (स्वसत्यापित साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर साथ ले लेकर आना अनिवार्य होगा।

आवेदन शुल्क—इच्छुक अभ्यर्थी को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mpsvv.ac.in पर जाकर भुगतान विकल्प का चयन कर शुल्क जमा करना होगा तथा उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी। आवेदन शुल्क 31.08.22 तक डिजिटली जमा करना अनिवार्य होगा।

नोट—नियत तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन शुल्क के आनलाईन भुगतान प्रक्रिया में असुविधा होने पर निम्नलिखित मो.नं. पर काल करें
मोबाईल नं.— 9928275290, 9889513204

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध विषय में श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड—जिसमें संबंधित विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो या समकक्ष ग्रेड जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो। उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

(टीप) —मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के सेट/स्लेटसफल अभ्यर्थी नहीं।

(ii) उपरोक्त उपधारा (i) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है इस सबके बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी नियमन 2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए है) ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी, जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल/पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपाधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्यधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गयी है।

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हो जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए हो।

(ङ.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। उपर्युक्त (क) से (ङ.) को

कुलपति/समकुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

टीप-मध्यपदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के एक-१ ११८/२०१२/३४-१, दिनांक ५ दिसम्बर २०१७ के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि-११ जुलाई २००९ के पूर्व अस्तिकृत तथा ११ जुलाई २००९ के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक यौंगड़ी ग्राम अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अहंता मान्य होगी। इस

सम्बद्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रकाशित पत्र मान्य होगा।

- (iii) यूजीसी का राज्यपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक ०४ मई २०१८ के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विभिन्न शारीरिक दिव्यांगता वाली (शारीरिक एवं आधुनिक तौर से पृथक रूप से दिव्यांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को इनाएक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ५ प्रतिशत की छूट होगी। पात्रता के लिए आवश्यक ५५ प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। वहाँ पर किसी भी "फाइट स्कैल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा ५ प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणी के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेंगी— और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।
- (iv) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री १९ सितम्बर १९९१ से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उसके अंकों में ५ प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी—५५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत।
नोट :- १. शिक्षा शास्त्र विषय के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित अहंता के अतिरिक्त संस्कृत में एम.ए. / आचार्य न्यूनतम ५५ प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य अहंता होगी।
2 सभी पात्र अभ्यर्थियों को विषयविशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी रवयं की पात्रता का सम्यक् परीक्षण कर लें।

पैनल बनाने की प्रक्रिया-

1. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के उपरान्त अहंता अभ्यर्थियों की सूची जारी की जायेगी। तदनुसार पात्र अभ्यर्थियों को विषय विशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। तदनुसार पैनल बनाया जायेगा।

नियम/शर्तें-

1. अतिथि विद्वान् को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि आमन्त्रित अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए आमन्त्रित अभ्यर्थी को इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय / अद्वेशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अभ्यर्थी को व्याख्यान हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। अतिथि विद्वान् एक साथ दो संस्थाओं में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में व्याख्यान हेतु आमन्त्रित अतिथि विद्वान् को कार्य दिवस में कार्यालयीन समय / निर्देशानुसार उपस्थित रहकर चार से पाँच कालखण्डों में व्याख्यान प्रस्तुत करने होंगे तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार शिक्षणेतर कार्य करने होंगे।
3. अतिथि विद्वान् को ३१ मई २०२३ अथवा सत्रावसान जो भी पहले हो, तक के लिए आमन्त्रित किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को आमन्त्रित करने अथवा उसके आमन्त्रण को बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। १५ दिवसों तक लगातार अनुपस्थित रहने की दशा में अतिथि विद्वान् का आमन्त्रण स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5. उपर्युक्तानुसार आमंत्रण व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है।
6. अन्यथा को किसी भी प्रकार का मार्गव्यय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. अन्यथा को निर्धारित प्रारूप में सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र एवं मूल शैक्षणिक दस्तावेज लेकर विषय विशेषज्ञों से चर्चा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा।


मानदेय-

1. आमन्त्रित अतिथि विद्वान् (पूर्णकालिक) को कार्य संतोषजनक होने पर प्रति कार्यदिवस रु. 1500/- देय होगा कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित दिवस का मानदेय प्रदेय नहीं होगा।
- 2 अंशकालीन अतिथि विद्वान को रुपये 300/-प्रति कालांश की दर से भुगतान किया जायेगाकिन्तु माह में 30,000/-रु.(अक्षरी तीस हजार रु.) से अधिक देय नहीं होगा।

टीप:- 1. विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2 उक्त विज्ञापन निरस्त करने, स्थानों की संख्या घटाने, बढ़ाने, स्थान भरने, न भरने का सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

3 छानबीन समिति द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद हेतु अधिकतम 10 आवेदकों को ही साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।



कुलसचिव

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन (म.प्र)
 अतिथि विद्वान् हेतु आवेदन पत्र
 आवेदित विषय :

नाम—

पिता/पति का नाम—

पता—

मो.नं.....

पासपोर्ट
साईज का
नवीनतम
फोटो चरण्या
करें।

शैक्षणिक योग्यता विवरण

क्र.	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड/वि.वि. का नाम
1	10वी/पूर्वमध्यमा				
2	12वी/उत्तरमध्यमा				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				
5	एम.एड.				
6	अन्य				

7. पीएच.डी/विद्यावारिधि.....

शोध शीर्षक.....

8. नेट/ जे.आर.एफ/ स्लेट

9. आधार कार्ड क्र.....

10. (विशिष्ट उपाधि/प्रमाण पत्र/पुरस्कार).....

11. आवेदन शुल्क द्रांजेक्षन आईडी (सब पैसा) दिनांक.....

घोषणा— उपर्युक्त समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। मैंने आवेदन शुल्क (1500 रुपये) दिनांक.....

को वि.वि. की बेवसाइट www.mpsvv.ac.in पर प्रदत्त भुगतान लिंक द्वारा जमा कर दिये हैं। मैंने आवेदन से सम्बन्धित सभी नियम/निर्देशों को पढ़ लिया है।

अध्यापन अनुभव—

क्र.	वर्ष	संस्था

कृपया केवल उपर्युक्त से सम्बन्धित स्वसत्यापित प्रपत्र ही संलग्न करे, अनपेक्षित नहीं।

आवेदक के हस्ताक्षर